

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5330/2025

श्रीमती देवी @ खेदना देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संजय मौर्या

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"(i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 11(1) के तहत दायर अपील (संख्या 0220/2025 कंप्यूटर वाद संख्या 202554053100000220; श्रीमती देवी @ खेदना देवी बनाम धर्मेन्द्र कुमार एवं अन्य) को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर विचार करने और तय करने का आदेश दें।"

3. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2025 और 14.11.2003 के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की है जो दिनांक 17.03.2025 से विचाराधीन लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों पक्ष पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और वाद अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निर्देश देता है कि वे इसे शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर तय करें।

6. यह अपेक्षा की जाती है कि इसे संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।
7. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.के.जी.